

नियम 69 : ¹[.....]

- 1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 69 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार था:

"नियम 69 : इनपुट कर प्रत्यय के दावे का सुमेलीकरण

आवक प्रदायकों, जिनके अंतर्गत धारा 41 के अधीन अनंतिम रूप से अनुज्ञात आयात भी हैं, पर इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित निम्नलिखित ब्यौरे, **प्ररूप जीएसटीआर-3** में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात्, धारा 42 के अधीन सुमेलित होंगे—

- (क) प्रदायकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
- (ख) प्राप्तकर्ता की जीएसटी पहचान संख्या;
- (ग) बीजक या नामे नोट संख्या;
- (घ) बीजक या नामे नोट तारीख; और
- (ङ) कर रकम;

परन्तु जहां धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटीआर-1** और धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट **प्ररूप जीएसटीआर-2** को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई है वहां इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी :

परन्तु यह और कि आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर प्रत्यय के दावे से सम्बन्धित सुमेलीकरण की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि—

- (i) **प्ररूप जीएसटीआर-2** में उन बीजकों और नामे नोटों, जिन्हें संशोधन के बिना **प्ररूप जीएसटीआर-2** के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, की बाबत इनपुट कर प्रत्यय का दावा सुमेलित माना जाएगा यदि तत्स्थानी प्रदायकर्ता ने विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है;
- (ii) इनपुट कर प्रत्यय का दावा यथा सुमेलित माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा ऐसे कर बीजक या नामे नोट पर संदत्त उत्पादन कर के बराबर है या उससे कम।